न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 17/2023(जी.सी.एम.एस.2023/444)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. लखविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजेन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।		1.जसकरण सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 3.सतपाल गुप्ता पुत्र मखन लाल गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—11.12.2023

उपस्थितः1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री रमेश चन्द गुप्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री अशोक कुमार जोशी अप्रार्थी संख्या 3

——निर्णय—— **दिनांक : 03.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 23/50 के मुरब्बा नम्बर 26, 53/34 की कुल 3.288 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 लखविन्द्र सिंह, अप्रार्थी संख्या 2 जसविन्द्र सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 129/07 के मुरब्बा नम्बर 26, 29, 53/34 की कुल 0.790 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 115/78 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1/1 की 0.0747 हैक्टेयर यानि की 6 बिस्वा भूमि, इसी प्रकार से किला नम्बर 10/1, 11/1 प्रत्येक की 0.0746 हैक्टेयर एंव किला नम्बर 20/1 की 0.0745 हैक्टेयर कुल 0.298 हैक्टेयर भूमि, मुरब्बा नम्बर 53/33 की 0.003 हैक्टेयर कुल 0.301 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि अप्रार्थी जसकरण सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में मुख्य सडक है। उक्त सडक निकलने के पश्चात मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 6-6 बिस्वा रकबा शेष रहा है। प्रार्थीगण उक्त सडक से होकर मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 से होते हुए, उक्त किला नम्बर 1 के 6 बिस्वा रास्ता जो किला नम्बर 1 की उतरी बट के साथ-साथ पूर्व की तरफ प्रार्थीगण की भूमि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2 में प्रवेश करता है, जो दो-दो बिस्वा रास्ता है, जिस पर से होकर उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 26 में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है, जिसे प्रार्थीगण मंजूर करवाना चाहते है। आज से पांच रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से सम्पर्क करके रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में मंजूर करवाये जाने हेतु कहा तो उन्होनें साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 में सडक से होते हुए पूर्व की तरफ उतरी बट के साथ-साथ दो-दो बिस्वा रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता उपस्थित आए। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अप्रार्थी संख्या 1 जसकरण सिंह को हटाया जाकर सतपाल गुप्ता को बतौर अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में प्रवेश के लिए वे मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21/1 की 0.074 हैक्टेयर भूमि में से इसके दक्षिणी मेड के साथ-साथ चल कर अपनी कृषि भूमि के किला नम्बर 2 में प्रवेश करते है, वर्तमान में यह रास्ता चालू है तथा इसी रास्ता से आवेदकगण अपनी भूमि में आते-जाते है। इसके अलावा भी आवेदकगण के पास मुरब्बा नम्बर 26 के दक्षिण की ओर चिपते की मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1/3 की 0.062 हैक्टेयर, किला नम्बर 2/2 की 0.025 हैक्टेयर बारानी भूमि है। यह भूमि आवेदकगण के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 के साथ चिपती हुई है। जिसमें से भी प्रवेश कर प्रार्थीगण आवागमन करते है। इस प्रकार से आवदेकगण के पास पूर्व से ही सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है, उनके द्वारा महज अनावेदक को परेशान करने के लिए रास्ता बाबत आवेदन पत्र पेश किया है, जो पोषणीय नहीं है, काबिले खारिजी के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण भारी हर्जाना सहित खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/306 दिनांक 08.04.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीकरणपुर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीकरणपुर व पटवारी हलका 10 ओ तेजेवाला द्वारा चक 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 26, 18, 29 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 की उतरी बट के साथ-साथ 16 फीट चौडाई में रास्ते की मांग की गई है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 23/50 के मुरब्बा नम्बर 26, 53/34 की कुल 3.288 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 129/07 के मुरब्बा नम्बर 26, 29, 53/34 की कुल 0.790 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 की उतरी बट के साथ-साथ 16 फीट चौडाई में से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 में से रास्ता व्यावहारिक है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 की उतरी बट के साथ-साथ 0.007 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 की कुल 0.007 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी संख्या 3 सतपाल गुप्ता पुत्र मखनलाल गुप्ता को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:- 01501226005 ईमेल-sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/345 **दिनांक :-** 04**.06.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः-प्रकरण संख्या 17/2023 अनवान लखविन्द्र सिंह आदि बनाम जसकरण सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 03.06.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 की उतरी बट के साथ-साथ 0.007 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 की कुल 0.007 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी संख्या 3 सतपाल गुप्ता पुत्र मखनलाल गुप्ता को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)